



न्यायालय राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक

/2011 अपील

A-1543/11/2011

मेसर्स नारंग डिस्टलरी लिमिटेड नबावगंज
गोण्डा (उ.प्र.) छतरपुर प्रदाय क्षेत्र (म.प्र.)

..... अपीलार्थी

विरुद्ध

1. आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश मोतीमहल ग्वालियर
2. मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर, छतरपुर
3. उपायुक्त आबकारी, संभागीय उडनदस्ता छतरपुर
4. जिला आबकारी अधिकारी, जिला छतरपुर

..... प्रत्यर्थीगण

श्री मुकेश शर्मा, कानून
द्वारा दायर दि. 27.9.2011 को
प्रस्तुत
कलेक्टर
छतरपुर
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

3
मुकेश शर्मा
25 लोकट
7-9-11
ग्वालियर

1/नकोय अर्द्धि.
वैकल्पिक भिलेनही
३६

न्यायालय / कार्यालय आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश मोतीमहल, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 5(1) /2010-11/3145 में पारित आदेश दिनांक 7.9.2011 के विरुद्ध आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 62 के अंतर्गत बने अपील, रिवीजन तथा रिव्यू नियमों के पैरा (2) सी के अंतर्गत अपील

6.5.2014

आवेदक की ओर से सूचना उपरोक्त
कोई भी उपस्थित नहीं। शासन की ओर
से श्री एन. के. अग्रवाल अभियोग
उपस्थित। तीन बार पुकार लगाई गई,
फिर भी कोई उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण
आम पैदा में निरस्त किया जाता है।

अहमद

H.K. Agrawal
6-5-2014
उपरोक्त अभियोग
21117